

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024

Number of Case 71 Year 2024 (08)

..... Versus
कानाराज व अन्य गुमनाराज वगैरे


Order Sheet (Subsequent)


CNR NUMBER

Number of Case Year

Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p> चे प्रवृत्त राजीनामा अर्जा आदेश 23 दिनांक 3 सीपीसी को लीकार दिना जाता है नका अपील मधील खलवाश आदेश क्रमांक रा. लो. अ. / खलवाश / 2018 / 832 दिनांक 6.6.2018 को जरिफे राजीनामा निरस्त किना जाना हा उममपक्षकाल जरिफे मधिक द्याय प्रवृत्त राजीनामे को आदेश का भाग समझा जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अधिकार आदेश को प्रति के लाभ मिजवाया जावे पत्तावली फुल म शुका देव दाखिल फलत हा </p>	


 सचिव
 राष्ट्रीय लोक अदालत
 जोधपुर महानगर


 अध्यक्ष
 राष्ट्रीय लोक अदालत
 जोधपुर महानगर



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के
तत्वाधान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत
(अन्तर्गत धारा 19, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987)

दिनांक 28.09.2024

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

वाची/वादी/परिवादी का नाम : कानाराम पुत्र श्री हुकमाराम व अन्य
प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का नाम : गुमनाराम पुत्र श्री हुकमाराम
न्यायालय/प्राधिकरण की कार्यवाही संख्या : उपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
रूप खाता संख्या (यदि लागू हो तो) :
लोक अदालत अध्यक्ष का नाम : श्री जय प्रकाश नारायण पुरोहित
सदस्यों का नाम 1. : श्रीमती सीमा कविया
2. :

-: अधिनियम :-

दिनांक 28.09.2024

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिये निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण पर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनियम पारित किया जाता है कि-

उत्तमपुत्रकार मय अदि वरना उपलक्ष्य/ उत्तमपुत्रकार के राजीनामा
अंतर्गत आदेश 22 निम्न उ सीपीली का पत्र किम। राजीनामा अनुषंग
उत्तमपुत्रकार के मध्य लोक अदालत की मानना के राजीनामा है
जमा है तथा के अपीलार्थीन कंवाडे की निरस्त करवाना चाहत
है अतः उत्तमपुत्रकार अदि की कोट ले प्रस्तुत लिखित
राजीनामा लोक अदालत की मानना ले स्वीकार किया जाता है
तथा अपीलार्थीन कंवाडे आदेश क्रमांक रा-लो-अ/वर्तमान/2018/832
दिनांक 6.6.2018 को अदि राजीनामा निरस्त किया जाता है

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय

की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गयी है, तो, वह वापस की जाएगी।

जोधाशम
देवारांम
नरसीगारांम

हस्ताक्षर
(वाची/वादी/परिवादी)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

हस्ताक्षर
(प्रतिवादी/प्रत्यर्थी)

सहाय्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

जोधाशम

जोधपुर महानगर

जोधपुर महानगर